Lalit Gandhi
National President

ALL INDIA JAIN MINORITY FEDERATION
अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ

लाखो करोडो वर्षों के गौरवशाली इतिहास की परंपरा में इस धरोहर को संभालनेवाले जैन समाज को २७ जनवरी, २०१४ को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 'अल्पसंख्यक' समाज का दर्जा प्रदान किया। अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली धरोहर के स्वामी जैन समाज को आखिरकार केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान किया है। लंबे समय से समाज अग्रणी इसके लिये प्रयासरत थे। पिछले दो दशकों में तो अत्यधिक प्रयास भी किये गये जिसके फलस्वरूप समाज को अल्पसंख्याक का दर्जा मिल ही गया। गौरतलब है कि देश के ११ राज्यों में पहले से ही जैन समाज को अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त है। विभिन्न राज्यों में वर्षों से यह दर्जा प्राप्त होने के बाद भी जन-जागृति के अभाव में समाज इसका लाभ नहीं ले पा रहा है।

केंद्र सरकार की इस राजपत्रिय अधिसुचना से 'जैन' धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व की पुष्टि के साथ-साथ जैन समाज को एवं जैन समाज के सभी धार्मिक संस्थान तथा शैक्षणिक संस्थानों को संविधान की धारा २५ से ३० तक मे वर्णित विशेषाधिकार एवं संरक्षण भी प्राप्त हुए है । **'जैन - समाज'** को केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्याक दर्जा मिलने से समाज बंधुओं को इसका क्या लाभ है.....? हमारे तीर्थ स्थलों को किस प्रकार के लाभ मिल सकता है, किस प्रकार अब उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है और शैक्षणिक संस्थाओं को क्या लाभ मिल सकता है ऐसे अनेक प्रश्न जैन बंधुओं के हृदय में अंतर्निहित हैं।

'जैन समाज' जो कि हमेशा से देता आया है, उसे सरकार से कुछ लेने की क्या आवश्यकता है ? हमें अनुदान क्यों चाहिए, दर्जा मिलने से हम देश के मुख्य प्रवाह से अलग तो नहीं होंगे, ऐसे भी कुछ विचार समाज के कुछ बंधुओं के हृदय में घर कर रहे है। अर्थात् तीर के समान चुभ रहे हैं।

'जैन समाज' सर्व साधारण रूप से सक्षम है परन्तु समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निम्न आय की श्रेंणी में आते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों के लिये उच्च शिक्षा के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिये, स्वयं रोजगार के लिये अल्पसंख्याक दर्जा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो भारत में सर्वाधिक दान देनेवाले एवं सरकारों को सर्वाधिक राजस्व देनेवालों में जैन समाज शीर्ष स्थान पर है। लेकिन यह स्थान समाज के ३० प्रतिशत उच्च एवं अतिउच्च आय श्रेणी के लोगों से प्राप्त है।

AIJMF

Presidential Office : "Business House", 1677, E, Main Road, Rajarampuri 10th Lane, Kolhapur - 416 008. (Maharashtra). Ph.: 0231 - 2525251, Fax : 0231 - 2522201.

National H.Q. : New Delhi

Email : jainminoritycell@gmail.com Web : www.jainminoritycell.org

ALL INDIA JAIN MINORITY FEDERATION

केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में पहली कक्षा से पी.एच.डी, एम.फील तक सभी तरह की पढाई के लिए प्रतिवर्ष १ हजार से ५० हजार तक की छात्रवृत्ति योजनाये। महिला कल्याण योजनाये, धार्मिक संस्थान, समाजिक संस्थानों के विकास की योजनाये, शिक्षा संस्थाओं को २ लाख रूपये से ३ करोड तक का अनुदान। व्यापारी–उद्योजकों के लिए वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याज से ३० लाख रूपये तक का ऋण, महिला एवं युवाओंको कौशल विकास हेतु अनुदान, प्राचीन तीर्थ एवं प्राचीन ग्रंथों के रखरखाव एवं जीर्णोध्दार हेतु अनुदान, समाज भवन के लिए अनुदान जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश है।

समाज के ५० प्रतिशत लोग सामान्य श्रेणी में आते है, उन्हे इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर्जा प्राप्त होने के बावजुद भी पिछले चार वर्षां में विभिन्न योजनाओं में 'जैन' लाभार्थीयों की संख्या अल्प है। इसका मुल कारण जानकारी का अभाव है।

यह जानकारी भारतवर्ष के सभी जैन परिवारों तक पहुँचाने एवं योजनाओं का लाभ लेने में मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु समस्त जैन समाज की राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शिखर संस्था कार्यरत है, जो मुख्यतः अल्पसंख्यक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ नियमित और प्रभावी समन्वय का कार्य करती है।

राष्ट्रीय स्तर पर 'जैन' समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने से केंद्र तथा राज्य सरकारों की अल्पसंख्यक समाज के विकास हेतु बनायी सभी योजनाओं का लाभ 'जैन' समाज को भी मिलेगा। **'जैन समाज'** को **'राष्ट्रीय स्तर'** पर **'अल्पसंख्यक'** समाज का दर्जा प्राप्त होने से जैन समाज का हर एक घटक सक्षम होगा और जैन समाज का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन यह तभी सम्भव है जब अल्पसंख्यक विषय पर जैन समाज में जागरूकता आयेगी और सरकार द्वारा घोषित योजनाओं की जानकारी समाज तक पहुँचेगी।

'ऑल इंडिया जैन मायनोरीटी फेडरेशन' (**AIJMF**) के नाम से राष्ट्रीय शिखर संस्था के रूप में पंजीकृत यह संस्था 'जैन' समाज की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, संस्थाओं के सहयोग से अपने कार्य को गतिमान बनाने जा रही है। जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से जैन समाज का नया पर्व शुरू हो गया है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जैन समाज जो पहले से ही सक्षम था वो अब और अधिक सक्षम बनकर देश की उन्नति में अपना योगदान देगा। अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने से जैन समाज जो लाखों वर्षो से एक स्वतंत्र धर्म है उसको मान्यता प्राप्त हो गयी है और इससे जैन समाज अत्यधिक आनंदित है।

सभी प्रमुख शहरों में जैन अल्पसंख्यक फेडरेशन के माध्यम से, अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से जैन समाज को प्राप्त होने वाली सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी देने हेतु विशेष कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जहाँ समाज के लोगों को योजनाओं से अवगत कराया जायेगा, जिसके लिये विभिन्न किताबे एवं दरमहा मॅगेझीन प्रकाशित की जा रही है। जिसके माध्यम से लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकाशित की जा रही किताबो एवं मॅगेझीन में सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा योजनाओं का लाभ लेने हेतु दिशानिर्देश होंगे। जैसे कि विद्यार्थियों के लिये छात्रवृति, उच्च शिक्षा के लिये लोन, व्यापारियों के लिए अल्प ब्याज पर ऋण, महिलाओं के लिये विविध योजनायें, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था के लिये उपलब्ध अनुदान तथा विशेष सुरक्षा योजनायें और ऐसी अनेक योजनाओं की विस्तार से जानकारी इन किताबों एवं मॅगेझीन में उपलब्ध होगी। यह मॅगेझीन जैन समाज के प्रत्येक घटक के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित होगी।

संस्थाद्वारा इन सभी योजनाओं के प्रत्यक्ष क्रियान्वयन एवं समन्वयन हेतु भारतवर्ष के सभी गाँवो, शहरों तक शाखाये बनायी जा रही है, इन शाखाओं के माध्यम से समाज के सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।

इस तरह हर उपलब्ध संसाधनों के सहाय से योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने तक के सभी कार्य 'ऑल इंडिया जैन मायनोरीटी फेडरेशन' (**AIJMF**) की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

समस्त जैन समाज को यह सभी लाभ आसानी से मिल सके इसके **लिए AIJMF की सामान्य सदस्यतः पुर्णतः निःशुल्क** है। सभी सदस्यों को अल्पसंख्यक फेडरेशन का **प्रमाणपत्र भी मिलेगा।**

आईये, इस संगठन को मजबुत बनाये, जैन समाज को सक्षम बनाये। अपने क्षेत्र में AIJMF की शाखा का गठन करे।

ललित गांधी

राष्ट्रीय अध्यक्ष – AIJMF